

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1( ) पीएस/निकाशि/2019/299

दिनांक- 18.9.19

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों को तुरन्त प्रभाव से उनके सम्मुख अंकित महाविद्यालय में आगामी आदेश तक के लिए कार्यव्यवस्थार्थ लगाया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	कहां से (राज0 महा0)	कहां को (राज0 महा0)
1	सुरेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	बानसूर	तिजारा
2	विक्रम सिंह	प्रयोगशाला सहायक	कन्या करौली	बीबीरानी
3	नरसी लाल बलाई	प्रयोगशाला सहायक	बामनवास	थानागाजी
4	दलीप सिंह सेरडिया	प्रयोगशाला सहायक	चूरू	कन्या रतनगढ़
5	भानाराम सिंगड	प्रयोगशाला सहायक	अजमेर	जोधपुर
6	हंसराज देवड़ा	प्रयोगशाला सहायक	जैतारण	नोखा
7	जितेन्द्र सिंह चारण	प्रयोगशाला सहायक	बालेसर	तिवरी मथानियां
8	जितेन्द्र सिंह	च0 श्रे0 कर्मचारी	जोधपुर	बालेसर

(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,  
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर की अशा.टीप क्रमांक वि.स./रा.मं./उ.शि./2019/1806 दिनांक 17.09.2019 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों को अविलम्ब कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाकर रिपोर्ट विभाग की ई-मेल आई.डी. [Jdadmn.cce@gmail.com](mailto:Jdadmn.cce@gmail.com) पर प्रेषित करावें।
5. संबंधित कार्मिक।
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. स्थापना शाखा/RVRES शाखा/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक,  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।